वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2015-कार्तिक 15, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT INDORE

(ORIGINAL JURISDICTION)

Company Petition No. 30/2013

In the matter of Section 433 & 434 of the Companies Act, 1956

AND

In the matter of M/s. Laxmi Pipes & Fittings Pvt. Ltd.,
Regd. Office: Plot No. 529, Sector-III
Industrial Area, Pithampur
District Dhar (M.P.); And
Corporate Office: at 108, Silver Sanchora Castle,
7, RNT Marg, Indore (M.P.).

And

Punjab National Bank .....Petitioner

Versus

M/s. Laxmi Pipes & Fittings Pvt. Ltd. .....Respondent

NOTICE OF PETITION

Notice is hereby given that a petition for the winding up of the above named company by the High Court of the State of Madhya Pradesh at Indore was presented on 12/08/2013 to the said Court by the said petitioner and that the said petition is directed to be heard before the Court on 14th day of December. 2015 at 10.30 A.M.

Any creditor or contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition, and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

R.C. Sinhal,
Advocate for Petitioner Bank
8, Advocate's Chamber M.G. Road,
Indore-452 007 (M. P.).

Indore
Dated: 06-10-2015
(417-B.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती तुलसा देवी के बेटे विजय कुमार मिश्र की कक्षा 8वी की अंकसूची में त्रुटिवश नाम पार्वती मिश्रा अंकित हो गया है, जिसे वह बदलकर सही व वास्तविक नाम तुलसा देवी कर दिया गया है जो सही व सत्य हैं.

MANISH MISHRA,
(Advocate)
Res:-179, Radha Krishan Nagar,
By Pass Road, Karond, Bhopal.

(418-बी.)

नाम परिवर्तन

यह कि मेरे सभी दस्तावेजों में जैसे—बारहवीं एवं फायनल की अंकसूची में मेरा नाम अर्चना ARCHNA पिता MEGHRAJ दर्ज है. जो कि सही व सत्य है. मेरे शासकीय दस्तावेजों, आधार कार्ड, मतदाता परिचय-पत्र में मेरा नाम ARCHNA TEKAM पिता MEGHRAJ TEKAM दर्ज है. उक्त दोनों नाम सत्य व सही हैं. ARCHNA TEKAM पिता MEGHRAJ TEKAM के नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम :

(ARCHNA)
पिता Meghraj

नया नाम :

(ARCHNA TEKAM)
पिता Meghraj Tekam
WCL कॉलोनी, चंदन गाँव, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(419-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, शहीदा खान पत्नि श्री ए. एन. खान, निवासी सिविल लाईन, होशंगाबाद की निवासी हूँ. मेरा विवाह श्री ए. एन. खान के साथ दिनांक 14 नवम्बर, 1969 में हुआ था. विवाह पूर्व मेरे पिता अयुब मशीह के घर मेरा नाम कु. सुशीला मशीह था. विवाह के बाद मेरा नाम शहीदा एवं उपनाम खान लिखा जाने लगा है. मेरे विवाह पूर्व का नाम सुशीला मशीह के स्थान पर अब विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती शहीदा खान हो गया है. यह कि सुशीला मशीह पुत्री अयुब मशीह एवं श्रीमती शहीदा खान पत्नि ए. एन. खान दोनों नाम की मैं एक ही महिला हूँ. अतः मुझे विवाह उपरांत के नाम श्रीमती शहीदा खान पत्नि श्री ए. एन. खान के नाम से जाना, पहचाना, लिखा व पढ़ा जाए. इस बावत् शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है.

पुराना नाम :

(सुशीला मशीह)

नया नाम :

(शहीदा खान)
पत्नि श्री ए. एन. खान
सिविल लाईन, होशंगाबाद.

(420-बी.)

नाम परिवर्तन

विदित होवे कि मैं, अवनीश श्रीवास्तव, आयु लगभग 21 साल आत्मज श्री शशांक श्रीवास्तव, निवासी-सांई प्रेम, बजाज हॉस्पिटल के पीछे संत नगर सावरकर वार्ड, कटनी, तहसील व जिला कटनी मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी हूँ और मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, मतदाता परिचय-पत्र,

पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अवि श्रीवास्तव दर्ज करा लिया गया है. यह कि मेरे द्वारा अपना नाम अवनीश श्रीवास्तव के स्थान पर अवि श्रीवास्तव कर लिया गया है. अत: आज से आगे मुझे अवि श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जावे एवं समस्त संबंधित दस्तावेजों में जहाँ अवनीश श्रीवास्तव अंकित है उसके स्थान पर अवि श्रीवास्तव पढ़ा व माना जावें.

पुराना नाम : नया नाम :

(अवनीश श्रीवास्तव) **(अवि श्रीवास्तव)**

(421-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम भूमिका कोठारी पुत्री श्री टी. सी. कोठारी था, 15 फरवरी, 2015 को मेरा विवाह डॉ. श्री आशीष उकावत के साथ हुआ है. विवाह उपरांत मेरा नाम बदलकर श्रीमती भूमिका उकावत पत्नी श्री आशीष उकावत हो गया है.

अत: मुझे समस्त शासकीय एवं निजी कागजात में श्रीमती भूमिका उकावत के नाम से ही जाना, पहचाना, पुकारा जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(भूमिका कोठारी) **(भूमिका उकावत)**

(426-बी.) 150, इंदिराकांप्लेक्स विदिशा (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स खैरा एण्ड संस भरहुत नगर, सतना में श्री सूर्यपाल सिंह तनय स्व. श्री कर्नल रामपाल सिंह, उम्र 73 वर्ष, मुकाम गोपालगढ़ अमहिया भागीदार थे जो दिनांक 19-10-2015 से फर्म की भागीदारी से रिटायर हो रहे हैं तथा इनका दिनांक 19-10-2015 से फर्म से कोई लेना-देना नहीं रहेगा. दिनांक 19-10-2015 से फर्म मेसर्स खैरा एण्ड संस भरहुत नगर, सतना में भागीदार के रूप में श्री संदीपन खैरा, श्रीमती मीरा खैरा एवं श्री भरत खैरा ही कार्यरत रहेंगे.

मेसर्स खैरा एण्ड संस,

संदीपन खैरा,

प्रबंध संचालक

(422-बी.) भरहुत नगर, सतना (म.प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स सिंह कॉन्टेक्टर्स नादरिया की माता कृष्णा कॉलोनी, गुडा पीपरी, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर साझेदार क्रमांक 2. श्री दिनेश सिंह तोमर पुत्र श्री भँवर सिंह तोमर, उम्र 35 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता-नादरिया की माता कृष्णा कॉलोनी, गुडा पीपरी, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश व 3. श्री राम सिंह तोमर पुत्र श्री भँवर सिंह तोमर, उम्र 30 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता-नादरिया की माता कृष्णा कॉलोनी गुडा पीपरी, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं 4. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री सियाराम सिंह तोमर, उम्र 28 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता-नादरिया की माता कृष्णा कॉलोनी गुडा पीपरी, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश को दिनांक 05-10-2015 को फर्म से अलग किया गया है एवं उनके स्थान पर नवीन साझेदार श्री अपेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री छीतल सिंह तोमर, उम्र 39 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता-नादरिया की माता कृष्णा कॉलोनी गुडा पीपरी, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश को अपनी फर्म में दिनांक 05-10-2015 को सम्मिलित किया जा रहा है जो भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले एवं अन्य सभी साझेदारों को स्वीकार है.

For : Singh Contractors

वीरसिंह तोमर

(423-बी.) (Authorised Signatory)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री गणेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी चार वार्ड चौराहा, गढ़ाकोटा, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर के प्रमुख साझेदार श्री आर. डी. अहिरवार सेवानिवृत्त मु. अ. पी. डब्ल्यू डी. ने अपने आपको दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को कम्पनी से पृथक् कर लिया है. आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित.

मेसर्स श्री गणेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी

भगवानदास पंडा,

(पार्टनर)

(424-बी.) गढ़ाकोटा, जिला सागर (म.प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मेसर्स सुरज जिनिंग फेक्ट्री फर्म जिसका पता वरला रोड, सेंधवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1F/65/97-98, दिनांक 21 अक्टूबर, 1997 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री घनश्याम पिता स्व. श्री सूरजमल अग्रवाल, 2. श्री अनुप पिता श्री घनश्याम अग्रवाल थे दिनांक 16-10-2015 से 1. श्री विकास पिता घनश्याम अग्रवाल उक्त फर्म में भागीदार के रूप में शामिल हुए है एवं भागीदार 1. श्री घनश्याम पिता स्व. श्री सूरजमल अग्रवाल उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं. इन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है. अब फर्म मेसर्स सुरज जिनिंग फेक्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है यह विदित हो.

तर्फे

मेसर्स सुरज जिनिंग फेक्ट्री

1. श्री अनुप पिता श्री घनश्याम अग्रवाल,
2. श्री विकास पिता घनश्याम अग्रवाल,

(भागीदार).

(425-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास हातोद, जिला इन्दौर

हातोद, दिनांक 09 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) तथा मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''औदीच्य मांगलिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट, इन्दौर (म.प्र.)'' कार्यालय ग्राम रेवती, तहसील हातोद, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री आनंदीलाल शर्मा पिता महादेव शर्मा, निवासी ग्राम रेवती, तहसील हातोद, जिला इंदौर द्वारा लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह अर्थात् 30 दिन के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक या अधिकृत मुख्त्यार व्यक्ति के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(लोक न्यास का नाम, पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	औदीच्य मांगलिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट, इन्दौर (मध्यप्रदेश).
पता	:	ग्राम रेवती, तहसील हातोद, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,61,000.00/- (अक्षरी पांच लाख इकसठ हजार मात्र).

आज दिनांक 09 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया.

राजेश मेहता,
अनुविभागीय अधिकारी.

(552)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-खण्डवा, जिला खण्डवा

प्र.क्र.-4/बी-113(1)/2014-15. **प्रारूप-चार**

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि श्री सुरेशचंद पिता प्रेमलाल राठौर, निवासी-ग्राम नहाल्दा, तहसील खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 को विचार किया जाएगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता.	:	राठौर समाज ट्रस्ट, नहाल्दा. तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 36,490/- नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक मर्या., खण्डवा में जमा.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

दिनांक 18 सितम्बर, 2015 को जारी

शाश्वत शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(553)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, छतरपुर

प्र. क्र.01/बी-113/2015-16. छतरपुर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015

प्रारूप-4

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 का 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5 (1) के अन्तर्गत लोक न्यासों के पंजीयक (रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अनुविभाग छतरपुर) जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि:-

क्रमांक	नाम	पता	पद
1	2	3	4
1.	श्री मधुसुदन पित्रे	बेनीगंज मुहल्ला स्टेट बैंक के पास छतरपुर म.प्र.	अध्यक्ष
2.	पं. श्री शिवनारायण चतुर्वेदी	जेल के पास नौगाँव, जिला छतरपुर म.प्र.	उपाध्यक्ष
3.	पं. श्री राकेश शुक्ला	शुक्लाना मुहल्ला, छतरपुर म.प्र.	उपाध्यक्ष
4.	श्री कैलाश रावत	ग्राम हमा तहसील व जिला छतरपुर	उपाध्यक्ष
5.	पं. श्री ओंकारदास जी	छतरपुर म.प्र.	सचिव
6.	पं. श्री हरीश मिश्रा	ग्राम ईशानगर तहसील जिला छतरपुर	सह सचिव
7.	पं. श्री महेश चन्द्र तिवारी	ग्राम महतौल पो. दौनी तहसील नौगाँव, जिला छतरपुर म.प्र.	कोषाध्यक्ष
8.	श्री कपूर सिंह यादव	ग्राम गनेशपुरा, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
9.	श्री दृगेन्द्र सिंह	प्रताप मार्केट गल्लामण्डी पुरानी, छतरपुर म.प्र.	सदस्य
10.	श्री महूम सिंह	ग्राम कलानी पो. निवासी तहसील वजिला, छतरपुर म.प्र.	सदस्य

6. चूंकि आवेदकों/न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा श्री जुगल किशोर मंदिर, सीताराम जी मंदिर, जानकीरमन मंदिर, ठाकुर रामालला मंदिर, ग्राम कलानी, तहसील व जिला छतरपुर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट के लोक न्यास पंजीयन हेतु ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन आवेदन-पत्र दिया गया है. एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. इस सम्बन्ध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

5. लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री जुगल किशोर मंदिर, सीताराम जी मंदिर, जानकीरमन मंदिर, ठाकुर रामालला मंदिर, ग्राम कलानी, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.

6. सम्पत्ति का विवरण

चल सम्पत्ति :- निरंक

अचल सम्पत्ति:-

1. **ठाकुर जुगल किशोर मंदिर की अचल सम्पत्ति:-** भूमि खसरा नं. 158, 359, 1257, रकवा क्रमश: 2.225, 2.230, 0.991 कुल किता 3 एकत्र रकवा 5.446 हे. स्थित भूमि मौजा कलानी.
2. **सीताराम जी मंदिर :-** भूमि खसरा नं. 135, 807, 909, 910, 912, 917, 918, 919, 920, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1172, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1179, रकवा क्रमश: 1.250, 0.073, 0.178, 0.490, 0.065, 0.194, 0.016, 0.384, 0.247, 0.325, 0.194, 0.190, 0.073, 0.664, 0.032, 0.036, 0.401, 0.020, 0.421, 0.032, 0.150, 0.170 स्थित भूमि मौजा कलानी.
3. **जानकीरमन मंदिर :-** भूमि खसरा नं. 412, 545, 546, 547, 835, 888 रकवा क्रमश: 1.033, 0.344, 0.955, 0.028, 1.477, 1.121 स्थित भूमि मौजा कलानी.
4. **ठाकुर रामललाजी मंदिर :-** भूमि खसरा नं. 145, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 538, 539, 581, 582, 583, 584, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600 रकवा क्रमश: 0.765, 0.267, 0.214, 0.235, 0.170, 0.255, 0.101, 0.247, 0.049, 0.166, 0.097, 0.129, 0.125, 0.591, 0.308, 0.417, 0.032, 0.045, 0.040, 0.137, 0.324, 0.320, 0.045, 0.267, 0.069, 0.165, 0.295, 0.304, 0.045, 0.137, 0.417, 0.817, 1.757 स्थित भूमि मौजा कलानी.

(559)

प्र. क्र.01/बी-113/2013-14. छतरपुर, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015

प्रारूप-4

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 का 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5 (1) के अन्तर्गत लोक न्यासों के पंजीयक (रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अनुविभाग छतरपुर) जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि:-

क्रमांक	नाम	पता	पद
1	2	3	4
1.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल तनय स्व. श्री किशोरी लाल अग्रवाल	जवाहर रोड, छतरपुर म.प्र.	मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी
2.	श्री सुरेश बाबू तनय स्व. श्री गोविन्द प्रसाद खरे	सिटी पोस्ट ऑफिस के पास छतरपुर म.प्र.	सदस्य
3.	श्री महेश प्रसाद ज्वारिया तनय स्व. श्री तुलाराम ज्वारिया	छतरपुर म.प्र.	सदस्य
4.	श्री प्रदीप खरे तनय श्री पी. के. खरे	खैरे की देवी मार्ग, छतरपुर	सदस्य
5.	श्री महेश कुमार असाटी तनय श्री बिहारी लाल असाटी	शुक्लाना मुहल्ला, छतरपुर	सदस्य
6.	श्री रणधीर शर्मा तनय स्व. श्री राममूर्ति शर्मा	सागर रोड, छतरपुर	सदस्य
7.	श्री राकेश शर्मा तनय श्री श्यामा चरण शर्मा	जवाहर रोड, छतरपुर	सदस्य
8.	डॉ. आर. के. खरे तनय स्व. श्री बसंत खरे	रेडियो कॉलोनी पन्ना रोड, छतरपुर	सदस्य
9.	श्री शेलेश असाटी तनय स्व. श्री लल्लू लाल असाटी	असाटी मोहल्ला, छतरपुर	सदस्य
10.	श्री राजेश अग्रवाल तनय श्री शंकर लाल अग्रवाल	महलरोड, छतरपुर म.प्र.	सदस्य

1. चूंकि आवेदकों/न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा श्री सांई सेवा पब्लिक ट्रस्ट, बुन्देलखण्ड गैरिज, जवाहर रोड, छतरपुर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन आवेदन-पत्र दिया गया है. एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जावेगा. इस सम्बन्ध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता : श्री सांई सेवा पब्लिक, ट्रस्ट बुन्देलखण्ड गैरिज जवाहर रोड, छतरपुर म.प्र.

सम्पत्ति का विवरण

अचल सम्पत्ति :- श्री सांई मंदिर हनुमान टौरिया, छतरपुर (मध्यप्रदेश)

चल सम्पत्तिः-

1. श्री सांई बाबा की मूर्ति
2. श्री गणेश जी की मूर्ति
3. श्री पार्वती जी की मूर्ति
4. श्री नन्दी जी की मूर्ति
5. जलहरी
6. चरण पादुका
7. छत्र एक नग
8. मुकुट एक नग
9. एल्यूमीनियम का भगौना मय ढक्कन, स्टील थाली, जग, गिलाश, थाली, झालर मजीरा.

डी. पी. द्विवेदी,
रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(559-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, पिपरिया, जिला होशंगाबाद

रा. प्र. क्र./02/बी-113/2014-15.

मौजा-ग्राम चाँदौन ह. नं. 18, तहसील बनखेड़ी

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1)]

लोक न्यासों के पंजीयक पिपरिया, जिला होशंगाबाद के समक्ष.

आवेदक नीतिराज सिंह पटैल आ. भगवान सिंह पटैल, निवासी-ग्राम चाँदोन, तहसील बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद ने द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाकर "श्रीराम जानकी मंदिर चाँदौन" के नाम से लोक न्यास का पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 2015 के माह 08 के 11 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता : "श्रीराम जानकी मंदिर चाँदौन" तहसील बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद.

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम चाँदौन स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 239 रकवा 6.341 हे. तथा खसरा नंबर 256 रकवा 1.562 हे.

राजेश शाही,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा.).

(562)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दि ग्वालियर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./29, दिनांक 10 मार्च, 1963 है को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से, उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1418, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्र. 1406 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दि ग्वालियर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री वाई. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(554)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

गोमटेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./179, दिनांक 28 फरवरी, 1991 है को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से, उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1416, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्र. 1405 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् गोमटेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जे. के. शर्मा, वरि. सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(554-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

महिमा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./234, दिनांक 02 नवम्बर, 1995 है को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1405, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से, ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्र. 1400 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् महिमा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(554-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

तिलक नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./28, दिनांक 10 अप्रैल, 1963 है को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1420, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से, ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्र. 1408 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् तिलक नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय दुबे, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(554-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दीप्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./264, दिनांक 01 अक्टूबर, 1997 है को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1411, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से, ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्र. 1402 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दीप्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजीव कुमार कौशिक, वरि. सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(554-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

अविज्ञप्ति शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./107, दिनांक 02 अप्रैल, 1954 है को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1413, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से, ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र कार्यालयीन डाक वाहक द्वारा संस्था पंजीकृत पते पर नहीं मिली टीप लगाते हुये वापस किया गया.

अत: यह माना जाकर कि संस्था पर आरोपित तथ्य सत्य हैं, मैं संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् अविज्ञप्ति शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मुकेश सिंघल, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(554-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

हरिजन आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्या., पाटई, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./209, दिनांक 03 अप्रैल, 1958 है को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1400, दिनांक 10 अगस्त, 2015 के माध्यम से, ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्र. 1396 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् हरिजन आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्या., पाटई, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

संजय दलेला,
उप-पंजीयक.

(554-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

रोगी कल्याण एवं उत्थान बहुउद्देशीय साख सहकारिता मर्या., विदिशा के अध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक 03 सितम्बर, 2015 में उल्लेख किया है कि सहकारिता ने पंजीयन दिनांक से आज तक कोई कार्य नहीं किया है तथा सहकारिता आगे भी कोई कार्य नहीं करना चाहती है. अध्यक्ष द्वारा सहकारिता को परिसमापन में लाये जाने बाबत् निवेदन किया गया है.

अध्यक्ष के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि सहकारिता निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण सहकारिता को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, रोगी कल्याण एवं उत्थान बहुउद्देशीय साख सहकारिता मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./19, दिनांक 25 जून, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को जारी करता हूँ.

(555)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सत्यमेव बहुउद्देशीय साख सहकारिता मर्या., विदिशा के अध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक 03 सितम्बर, 2015 में उल्लेख किया है कि सहकारिता ने पंजीयन दिनांक से आज तक कोई कार्य नहीं किया है तथा सहकारिता आगे भी कोई कार्य नहीं करना चाहती है. अध्यक्ष द्वारा सहकारिता को परिसमापन में लाये जाने बाबत् निवेदन किया गया है.

अध्यक्ष के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि सहकारिता निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण सहकारिता को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सत्यमेव बहुउद्देशीय साख सहकारिता मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./16, दिनांक 10 जून, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को जारी करता हूँ.

(555-A)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

श्री पी. एस. रघुवंशी, प्रशासक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी बासौदा ने अपने पत्र दिनांक 01 सितम्बर, 2015 में उल्लेख किया है कि रायकवार मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बरेठ, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के अध्यक्ष श्री महेश रैकवार द्वारा आज दिनांक तक संस्था का चार्ज नहीं दिया गया है. मेरे द्वारा चार्ज लेने के सम्बन्ध में पत्र दिया गया वह लेने से इंकार कर दिया गया तथा संस्था का बरेठ में कोई कार्यालय नहीं है. प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है एवं अवगत कराया है कि संस्था का निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, रायकवार मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बरेठ, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./ 739, दिनांक 16 जनवरी, 2009 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 को जारी करता हूँ.

(555-B)

विदिशा, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1095.—श्री आर. के. सोनी, प्रशासक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी ग्यारसपुर ने अपने पत्र दिनांक 08 सितम्बर, 2015 में उल्लेख किया है सिद्वेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अंडियाकला, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा का संस्था स्थल/पते पर कोई कार्यालय स्थापित नहीं है. संस्था की वार्षिक आमसभा एवं मासिक बैठके नहीं की गई है. संस्था के पदाधिकारी/सदस्य कार्य संचालन में कोई सहयोग नहीं करना चाहते न ही संस्था को क्रियाशील रखना चाहते है. प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क) एवं (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सिद्वेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अंडियाकला, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./614, दिनांक 30 मार्च, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 को जारी करता हूँ.

(555-C)

विदिशा, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1096.—श्री पी. एस. रघुवंशी, प्रशासक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी बासौदा ने अपने पत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2015 में उल्लेख किया है. गृह निर्माण वस्तु उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के अध्यक्ष एवं संस्था के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है. संस्था कार्यालय का पता प्राप्त नहीं हुआ है. ऐसी स्थिति में संस्था का प्रशासक का चार्ज भी आज तक प्राप्त नहीं हुआ है. ऐसी स्थिति में संस्था का निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है. प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, गृह निर्माण वस्तु उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./121, दिनांक 13 अप्रैल, 1964 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 को जारी करता हूँ.

(555-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

श्री डी. के. दुबे, प्रशासक एवं सहकारी निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2015 में उल्लेख किया है मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., घटेरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की माह सितम्बर 2015 में आमसभा आयोजित की जाना है तथा संस्था का निर्वाचन भी कराया जाना है. संस्था के प्रभार ग्रहण के समय नगदी सिलक शेष नहीं थी एवं संस्था के सेविंग खाते में मात्र रुपये 872.00 ही शेष है. पर्याप्त धन राशि न होने के कारण आगामी कार्यवाही करने के लिये सदस्यों से अमानते जमा करने को कहा गया, परन्तु किसी सदस्य द्वारा अमानत राशि जमा नहीं कराई गई. फलस्वरूप आगे की कार्यवाही प्रभावित हो रही है तथा आमसभा एवं निर्वाचन कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क) एवं (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., घटेरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./204, दिनांक 26 नवम्बर, 1971 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को जारी करता हूँ.

(555-E)

विदिशा, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1098.—श्री राम सिंह, प्रशासक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2015 में लेख किया है कि अध्यक्ष सफल बीज उत्पादक एवं कृषि विकास सहकारी संस्था मर्या., औलिंजा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा द्वारा प्रस्तुत पत्र में 3-4 साल से संस्था के अकार्यशील होने तथा संस्था को परिसमापन में करने का उल्लेख किया है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सफल बीज उत्पादक एवं कृषि विकास सहकारी संस्था मर्या., औलिंजा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./987, दिनांक 16 जनवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को जारी करता हूँ.

(555-F)

विदिशा, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1099.—श्री आर. एस. राज, प्रशासक एवं सहकारी निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2015 में उल्लेख किया है कि प्रियंका सिलाई-कढ़ाई एवं महिला उत्थान सहकारी समिति मर्या., विदिशा अकार्यशील संस्था है तथा आगे भी संचालित हो पाना सम्भव नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही की जाना उचित होगी.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, प्रियंका सिलाई-कढ़ाई एवं महिला उत्थान सहकारी समिति मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर.एच./बी. पी. एल./619, दिनांक 02 जनवरी, 1997 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को जारी करता हूँ.

(555-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

श्री दीपक दुबे, सहकारी निरीक्षक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चकपाटनी, जिला विदिशा ने अपने पत्र दिनांक निल में उल्लेख किया है कि संस्था आर्थिक एवं अन्य कारणों से अभी निर्वाचन नहीं करा सकती है.

श्री दुबे के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाचन नहीं कराने से सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना" पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/385, विदिशा, दिनांक 01 मई, 2015 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चकपाटनी,तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./913, दिनांक 27 मार्च, 2014 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, ग्यारसपुर को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(555-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

निषाद राज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सत्ताखेड़ी जाजौन, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के सदस्यों द्वारा की गई शिकायत की जांच श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारी निरीक्षक से करायी गयी. जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर संचालक मण्डल संस्था की उपविधि, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 का पालन नहीं कर रही है.

जांच प्रतिवेदन से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, निषाद राज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सत्ताखेड़ी जाजौन, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./557, दिनांक 20 मई, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 07 अगस्त, 2015 को जारी करता हूँ.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(555-I)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4)के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/637.—प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर (पंजीयन क्रमांक 1366, दिनांक 10 दिसम्बर, 1985) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2014/555, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बुरहानपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 05 सितम्बर, 2015 में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव कार्यालय को परिसमापक द्वारा अपने पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2015 से प्रस्तुत किया गया. प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था को पुनर्जीवित किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर (पंजीयन क्रमांक 1366, दिनांक 10 दिसम्बर, 1985) को पुनर्जीवित करता हूँ तथा उक्त परिसमापन आदेश क्रमांक/विधि/2014/555, दिनांक 24 जुलाई, 2014 को निरस्त करता हूँ. साथ ही संस्था को कारोबार संचालन हेतु प्रस्तावित नौ सदस्यीय अस्थाई कमेटी का गठन निम्नानुसार अनुमोदित करता हूँ.—

1. श्री बलदेवसिंह मोतीसिंह रघुवंशी,	अध्यक्ष	7. श्री काशीनाथ सीताराम,	संचालक
2. श्री सुरेश कुमार रामदास सनखेरे,	उपाध्यक्ष	8. श्री रमेश दिनकर सोनगीरकर,	संचालक
3. श्री मुरलीधर वामन,	संचालक	9. श्री सुरेश बाबुराव महाजन,	संचालक
4. श्री सुनिल नारायण चापोरकर,	संचालक	10. श्री जगदीश ठाकुर,	संचालक
5. श्री प्रकाश झिपरू काले,	संचालक	11. श्री प्रदीप हनुमन्त खेडेकर,	संचालक
6. श्री जगदीश नारायण,	संचालक		

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि संस्था का निर्वाचन निर्धारित अवधि में करवा कर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

जे. एल. बरडे,
उप-पंजीयक.

(556)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 11 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1363.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 349, दिनांक 03 मार्च, 2015 के द्वारा श्री नाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सोनकच्छ, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक DR 15/30-1-2003/JR/25, दिनांक 04 फरवरी, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री देवेन्द्र कुमार आर्य, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-(1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(557)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1.	अनुसूचित जाति वर्ग साख सहकारी संस्था, देवास	1336/08-08-2013	2825/28-11-2013
2.	चन्द्रवंशी साख सहकारी संस्था, देवास	836/17-12-1996	1716/23-03-2008

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तद्नुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

प्रेरणा जोमेकर,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(558)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 480, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बंग्रेड, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 767, दिनांक 15 सितम्बर, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहोरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(560)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 478, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चितावद, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 599, दिनांक 23 अक्टूबर, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(560-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 480, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहाना, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 610, दिनांक 06 जून, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहोरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(560-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2384, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कडोदिया, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 731, दिनांक 06 फरवरी, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(560-C)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 17 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2015/2816, उज्जैन, दिनांक 03 अगस्त, 2015 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	विक्रम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	22/12-04-2002	2816/03-08-2015
2.	कल्याण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	145/22-07-2011	2816/03-08-2015
3.	मंगलनाथ कृषि प्रक्रिया विपणन सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1449/31-03-1997	2816/03-08-2015
4.	वसूदेव कुटुम्बकं उद्यानिकी पौध, पुष्प, सब्जी, कृषि, उत्पाद, विपणन, भण्डारण, अनुसंधान एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	1655/22-01-2005	2816/03-08-2015

अत: मैं, एस. एन. मेहता, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 17 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एस. एन. मेहता,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(561)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2015-कार्तिक 15, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 8 जुलाई, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है :—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर, कराहल (श्योपुर), अटेर, भिण्ड (भिण्ड), ग्वालियर, भितरवार, घाटीगाँव (ग्वालियर), दतिया, भाण्डेर (दतिया), कोलारस (शिवपुरी), टीकमगढ़, वल्देवगढ़ (टीकमगढ़), अजयगढ़ (पन्ना), खुरई, शाहगढ़ (सागर), मझगवां, उचेहरा (सतना), चुरहट (सीधी), अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), बुरहानपुर, नेपानगर (बुरहानपुर), गैरतगंज, बेगमगंज, बरेली, बाड़ी (रायसेन), पिपरिया, वनखेड़ी, पंचमढ़ी (होशंगाबाद), मण्डला (मण्डला), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, तामिया, सौंसर, अमरवाड़ा, बिछुआ, हर्रई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), केवलारी (सिवनी), लांजी, वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मेहगांव (भिण्ड), कुंभराज (गुना), पलेरा (टीकमगढ़), बड़ामल्हरा (छतरपुर), पवई (पन्ना), बीना, बंडा, रहली, देवरी, गढाकोटा, राहतगढ़, केसली, मालथोन (सागर), अमरपाटन, बिरसिंहपुर (सतना), सोहागपुर (शहडोल), सिंहावल, कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), सिलवानी (रायसेन), पाटन (जबलपुर), रीठी, बड़वारा, विदयराधौगंज, ढीमरखेड़ा, बरही (कटनी), सिवनी, कुरई, घनोरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील लहार (भिण्ड), डबरा (ग्वालियर), राघौगढ़ (गुना), गौरीहार, नौगांव, बिजावर (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), सागर (सागर), रघुराजनगर, नागौद (सतना), सिरमोर, मऊगंज (रीवा), जैसिंहनगर, बुढार (शहडोल), अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), सीहोर, जबलपुर, मझोली, कुंडम (जबलपुर), कटनी, बहोरीबंद (कटनी), निवास, नैनपुर, घुघरी (मण्डला), बजाग, शाहपुरा (डिण्डोरी), चौरई (छिन्दवाड़ा), छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील गोहद, मिहोना (भिण्ड), सेवढ़ा (दतिया), पिछोर, नरवर (शिवपुरी), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, ओरछा (टीकमगढ़), छतरपुर, राजनगर, बक्स्वाहा (छतरपुर), गुन्नौर, पन्ना (पन्ना), त्योंथर, हनुमना, हुजूर, गुढ़, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), ब्यौहारी, गोहपारु, जैतपुर (शहडोल), जेतहरी (अनूपपुर), गोपदबनास (सीधी), गाडरवाड़ा, करेली, नरसिंहपुर, गोटेगाँव, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), बिछिया, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), लखनादौन, बरघाट, घन्सौर (सिवनी), बालाघाट, बेहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**— जिला श्योपुर, दतिया, छतरपुर, रीवा, अनूपपुर, सीधी, राजगढ़, रायसेन, जबलपुर, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई व सागर, शहडोल, भोपाल, कटनी, नरसिंहपुर में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला कटनी में तिल डिण्डोरी में सोयाबीन, धान, उड़द, तुअर, कोदों-कुटकी व दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, उज्जैन, शाजापुर, देवास, खरगौन, बुरहानपुर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, रायसेन, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, छिन्दवाड़ा, सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, नीमच, झाबुआ, बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 8 जुलाई, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	3.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	12.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	12.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	85.0				
4. मेहगांव	33.0				
5. लहार	39.0				
6. मिहोना	68.0				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	6.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	46.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	16.0				
4. घाटीगांव	5.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	73.0	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	10.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	11.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	87.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	78.0				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	5.0				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला अशोकनगर:**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
• जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द, समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	43.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	32.0				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	54.0	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	100.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	94.0				
4. टीकमगढ़	7.0				
5. बल्देवगढ़	12.0				
6. पलेरा	19.0				
7. ओरछा	81.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लवकुशनगर	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	49.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	44.0				
4. छतरपुर	87.0				
5. राजनगर	61.5				
6. बिजावर	37.0				
7. बड़ामलहरा	20.4				
8. बक्स्वाहा	53.6				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	2.2	का कार्य चालू है.	4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	72.0		उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	64.0		(2) . .		
4. पवई	29.0				
5. शाहनगर	41.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	31.4	का कार्य चालू है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोंदो, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	7.7		मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	25.4		सोयाबीन समान.		
4. सागर	42.9		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	24.0				
6. देवरी	20.0				
7. गढ़ाकोटा	18.4				
8. राहतगढ़	19.3				
9. केसली	18.0				
10. मालथोन	18.4				
11. शाहगढ़	15.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला दमोह :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हटा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. बटियागढ़	. .		(2) . .		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	38.3		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	10.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	35.3				
5. उचेहरा	2.0				
6. अमरपाटन	30.0				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	32.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	85.0	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	38.8		मसूर, अलसी, अरहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	39.2		(2) . .		
4. हनुमना	57.2				
5. हजूर	175.8				
6. गुढ़	149.6				
7. रायपुरकर्चुलियान	99.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	26.0	का कार्य चालू है.	4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, कोंदो-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	67.0		कुटकी, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहपारू	85.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जैसिंहनगर	39.0				
5. बुढार	40.0				
6. जैतपुर	89.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	73.1	कार्य चालू है.	4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	47.3		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	43.8				
4. पुष्पराजगढ़	40.9				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	55.2		4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूँग, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	22.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	28.0				
5. चुरहट	12.7				
6. रामपुरनैकिन	25.6				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) सोया-अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) सोयाबीन.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) मक्का, सोयाबीन अधिक. उड़द, कपास, धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोबट	..		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	0.4		(2) ..		
3. कट्टीवाड़ा	5.2				
4. सोण्डवा	..				
5. च. शे. आ. नगर	..				
6. उदयगढ़	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूं, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) ..		
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	15.2	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	13.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		अधिक. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) . .		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .		
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	5.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	5.0				
4. गौहरगंज	. .				
5. बरेली	11.4				
6. सिलवानी	27.8				
7. बाड़ी	3.0				
8. उदयपुरा	. .				
***जिला बैतूल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	1.2				
7. वनखेड़ी	2.6				
8. पचमढ़ी	0.2				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोरा	39.6	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	25.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	41.5				
4. मझौली	50.2				
5. कुण्डम	43.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई एवं तिल	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	43.8	की बोनी का कार्य चालू	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	28.0	है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बड़वारा	31.0				
4. विजयराघवगढ़	18.0				
5. बहोरीबंद	43.8				
6. ढीमरखेड़ा	18.0				
7. बरही	34.0				

1	2	3	4	5	6
जला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	79.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	190.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	131.0				
4. गोटेगांव	124.0				
5. तेन्दूखेड़ा	215.0				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	50.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	72.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	51.9				
4. मण्डला	9.8				
5. घुघरी	36.2				
6. नारायणगंज	53.7				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं सोयाबीन, धान, उड़द, तुअर एवं कोदों-कुटकी बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	83.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	39.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	47.4				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	5.8		4. (1) सोयाबीन, मक्का धान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	9.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	11.2				
4. जामई (तामिया)	13				
5. सोंसर	6				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	1.2				
8. चौरई	49.4				
9. बिछुआ	3.7				
10. हर्रई	5.4				
11. बोलखेड़ा	10.2				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	18.2		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन सन गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	13.0				
3. लखनादौन	53.8				
4. बरघाट	77.4		(2) . .		
5. उरई	25.0				
6. घंसौर	57.0				
7. घनोरा	33.70				
8. छपारा	43.2				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	72.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	13.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	79.0				
4. वारासिवनी	5.2				
5. कटंगी	3.7				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला अशोकनगर, दमोह, खण्डवा, बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(551)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.